



अपने हिस्से अनुसार एवं शूअर की स्थिति अनुसार आपकी सहायता से एवं पारस्परिक तौर पर घरेलू बंटवारा कर लिया गया। पारस्परिक सहायता में वादीया के हिस्से में किला नं 5 का 0.253 हेक्टर व 6 का 0.126 हेक्टर शूअर आई। वादीया अपने हिस्से के किलागत की शूअर पर शूअरों के कार्रवाही होकर उत्तरा उपभोग करती का ली है। वादीया ने उपभूता अनुसार शूअर का उत्तरा विभाजन का निवेदन किया गया।

उपरोक्त प्रतिवादीगत को सुना गया। प्रतिवादीगत ने निवेदन किया कि वादीया उत्तरा अपने हिस्से की शूअर का तथा प्रतिवादी 1, 4, 5, 6, 7, उत्तरा अपने-अपने हिस्से की शूअर का प्रतिवादी 1 व 3 के पदा में जारी पंजीबद्ध दस्तबरदाती तक त्याग किया जा चुका है। उत्तरा साक्ष्य पंजीबद्ध दस्तबरदाती पुस्तक त-1 जिल्द 10 पृष्ठ की फोटो प्रति उत्तरा की गई। इसके साथ ही वादीया देवली देवी पत्नी कुलावत के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति उत्तरा की गई, जिल्द अनुसार

126 टैबल (श्रुति आई) वादीया अपने

हिस्सा के किल्लागत की श्रुति पर वादीया  
काकिज होकर उत्तरा उपभोग करती  
का ली है। वादीया ने उपभुक्ताकुमार  
श्रुति का दाता विभाजन का निवेदन  
किया गया।

उपरो प्रतिवादीगण को सुना गया। प्रतिवादीगण  
ने निवेदन किया कि वादीया द्वारा अपने  
हिस्से की श्रुति का तथा प्रतिवादी का  
1, 4, 5, 6, 7, द्वारा अपने-अपने हिस्से  
की श्रुति का प्रतिवादी श्रुति के पदा  
में जरूर पंजीकृत दस्तबंदकारी तक  
त्याग किया जा चुका है। बरकर साक्ष्य  
पंजीकृत दस्तबंदकारी पुस्तक सं. 1 जिल्द  
का पृष्ठ की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई।  
इसके साथ ही वादीया देवली देवी  
पत्नी कुलावत के मृत्यु प्रमाण पत्र  
की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसे क अकुमार  
वादीया की मृत्यु दि 12/3/2017  
को होना दर्ज है।

वर्तमान राजस्व खाते का अवलोकन  
किया गया। मुताबिक इ. का 302  
दिनांक 19/3/2017 द्वारा दस्तबंदकारी  
के आधार पर श्रुति हरीराज

